

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(7)गृह-1/2025 (26205)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 13.01.2026 के द्वारा की गई अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की** निम्नांकित वर्षों के जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

**वर्ष 2023-24**

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2023-24 में श्री सुनील कुमार टेलर पुत्र श्री नाथू लाल टेलर (सामान्य) को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री लाल सिंह यादव पुत्र श्री पतराम (सामान्य) के नीचे निर्धारित की जाती है।

**वर्ष 2024-25**

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2023-24 से श्री प्रेमदान रत्नू पुत्र श्री कछावादान की सील्ड कवर अभिशंषा को निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2024-25 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री जितेन्द्र नावरिया पुत्र श्री भंवर लाल (एससी) के नीचे तथा श्री अमृत लाल सोनी पुत्र श्री पूनम चन्द सोनी (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है।

श्री सुनील कुमार टेलर पुत्र श्री नाथूलाल टेलर को वर्ष 2023-24 पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2024-25 की चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है।

यह पदोन्नति आदेश माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है।

उक्त अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रत्नेश कुमार शर्मा)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

